उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 की धारा 24 (हद बरारी/ मेडबंदी) के नियम :-

24. सीमा सम्बन्धी विवाद :-

(1) उप जिलाधिकारी [स्वप्रेरणा] से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो वहां उन नक्शों के आधार पर , किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी [जांच द्वारा कर सकता है]।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप-जिलाधिकारी अपना यह समाधान न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो उप-जिलाधिकारी-

(क) प्रथम स्थिति में ,संक्षिप्त जांच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा:

(ख) द्वितीय स्थिति में , इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात् सीमा का निर्धारण करेगा।

3) इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से , यथासम्भव [तीन माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।

(4) उप-जिलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। [आयुक्त का आदेश,धारा 210 के उपबंधों के अध्य्सीन अन्तिम होगा]

_____*_____

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली -2016 की धारा -22

22. सीमा विवादों का निपटारा (धारा 24) –

(1) संहिता की धारा 24 (1) के अधीन खातेदार एक या एक से अधिक समीपस्थ गाटों के लिये सीमा विवाद निस्तारण के आवेदन-पत्र दो प्रतियों में उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी

(क) गाटा का विवरण- गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हैं , तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी ; चालू अद्यतन कृत खतौनी भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

ख) समीपस्थ पाटों का विवरण गाटा संख्या खातेदार का नाम , पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हों , तो सभी को विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी। चालू अद्यतन कृत खतौनी भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(2) यदि खतौनी में खाता अलग -अलग है, किन्तु भू-चित्र में उप-विभाजन नहीं है , तो भू-चित्र में उप-विभाजन कराया जाना आवश्यक होगा।

(3) यदि सीमांकित किये जाने वाले गाटा/गाटों से ग्राम पंचायत /राज्य सरकार की किसी सम्पत्ति की सीमा संलग्न है , तो अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति/ग्राम प्रधान और राज्य सरकार को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाया जायेगा।

(4) समीपस्थ गाटों की सीमा के सीमांकन हेतु आवेदन किये जाने पर बाहरी सीमा का ही सीमांकन किया जायेगा।

(5) आवेदक को गाटा / सम्बद्ध गाटों के सीमांकन हेतु राजकीय कोषागार में रु० 1,000 की फीस जमा करनी होगी। आवेदन पत्र के साथ चालान, रसीद को प्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी।

(6) सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर उपजिला अधिकारी, राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर० सी० सी० एम० एस०) पर

बाद दर्ज करेगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से नोटिस को तीन प्रतियां जारी की जायेंगी और तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को प्रदत्त की जायेंगी।

(7) राजस्व निरीक्षक, लेखपाल या अन्य किसी माध्यम से उपनियम (1) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित खातेदार/खातेदारों को नोटिस तामील करेगा। खातेदारों को अनुपस्थिति में नोटिस , खातेदार/खातेदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्य को तामील की जायेगी। सीमांकन की सूचना , भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को भी प्रदान की जायेगी।

(8) यदि राजस्व निरीक्षक सूचना भेजते समय या स्थलीय सीमांकन से पूर्व किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।

(9) राजस्व निरीक्षक अथवा कोई अन्य राजस्व पदाधिकारी सीमांकन हेतु दिनांक नियत करने के पश्चात् और सभी सम्बन्धित खातेदारों को सूचित करने के पश्चात् यथास्थिति भूखण्ड या भूखण्डों का सीमांकन करेगा। सीमांकन करते समय यदि कोई प्रभावित खातेदार तत्सम्बन्ध में पक्षकार न हो तो खातेदार राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्सम्बन्ध में स्थलीय पक्षकार बनायेगा तथा वह अपनी सीमांकन आख्या में इसका उल्लेख करेगा। सीमांकन उप जिलाधिकारी द्वारा तत्निमित्त कृत आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(10) राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व पदाधिकारी स्थल जाप सहित सीमांकन आख्या तैयार करेंगे। यदि तत्निमित्त आपत्तियां न हों, तो सीमांकन आख्या पर सभी संबंधित पक्षकारों की सहमति तथा हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् उसे तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारों को एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जायेगा। राजस्व निरीक्षक की पूर्वोक्त आख्या प्राप्त करने पर उप जिलाधिकारी सीमांकन आख्या की पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा।

(11) यदि सीमांकन से प्रभावित पक्षकारों ने सीमांकन पर अपनी सहमति न दी हो अथवा यदि सीमांकन आख्या में कोई आपत्ति हो , तो उप-जिलाधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का दिनांक नियत (करते हुए नोटिस (नोटिसे) जारी की जायेगी/की जायेंगी जो नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।

(12) उप-जिलाधिकारी समस्त सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात् सीमा का सीमांकन करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा। राजस्व निरीक्षक को आदेश किये जाने के दिनांक से

दो सप्ताह के भीतर ऐसे 1 आदेश का अनुपालन करना होगा और उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

(13) जहां पर गाटा संख्या की सीमा, भूमि के जलोढ़ या आप्लाव अथवा भारी वर्षा के कारण या किन्हों, अन्य कारण से हुई क्षति के कारण शिनाख्त योग्य न हो , वहां पर उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आवेदन-पत्र पर उप जिलाधिकारी लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा लेखपाल को अनुदेश देगा कि यह वर्तमान सर्व मानचित्र के आधार पर अथवा जहां पर सम्भव हो , कब्जा के आधार पर स्थल पर सीमा का सीमांकन करे और यदि कोई शिकायत हो तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से पारस्परिक सहमति के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और अपनी आख्या उप-जिलाधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(14) उपनियम (10) (13) या (14) के अधीन सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय उप जिलाधिकारी सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निदेशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये।

(15) उप जिलाधिकारी संहिता की धारा 24 (3) में यथा उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा और यदि प्रक्रिया ऐसे समय के भीतर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।